उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 59–प्र0सु0–01 / पा.का.लि / 2008–19–प्र0सु0 / 2004 दिनांक 23 फरवरी, 2008

समस्त मुख्य अभियन्ता,
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कारपोरेशन के जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचनायें एवं अंतरित आवेदन पत्रों पर आवेदकों को ससमय सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कारपोरेशन, मुख्यालय एवं अन्य इकाईयों द्वारा कारपोरेशन, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी को वांछित सूचनायें तथा उनके द्वारा अंतरित किये गये आवेदन पत्रों पर आवेदकों को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। यह अत्यन्त खेद एवं चिन्ता का विषय है।

आप अवगत ही होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–7 (1) के प्राविधानों के अंतर्गत आवेदक को वांछित सूचना विलम्बतम 30 दिनों में उपलब्ध करायी जानी है। मा0 राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के उक्त प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा–20 (1) में आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना निर्धारित समयावधि (30 दिन जैसा कि अधिनियम की धारा–7 (1) में निहित है) में न दिये जाने पर प्रतिदिन दो सौ पचास रूपये किन्तु अधिकतम रूपये पच्चीस हजार की शास्ति मा0 आयोग द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–5 की उपधारा 4 एवं 5 में निम्न व्यवस्था विहित है :–

उपधारा–4 :– यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

उपधारा–5 :– कोई अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जिसकी उपधारा–4 के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लघंन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी समझा जायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम की उपरोक्त व्यवस्थाओं से सुस्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाना परमावश्यक है तथा कारपोरेशन, मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचनायें तथा अंतरित आवेदन–पत्रों में वांछित सूचनायें सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। कारपोरेशन, मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचनायें तथा अंतरित आवेदन–पत्रों के माध्यम से आवेदकों द्वारा अपेक्षित सूचनायें ससमय उपलब्ध न कराये जाने की अवस्था में प्रकरण से संबंधित अधिकारी को समस्त प्रयोजनों हेतु जनसूचना अधिकारी माना जायेगा जिससे सूचना की अपेक्षा की गयी हो।

तदनुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश है कि अधिनियम के उपर्युक्त प्राविधानों से अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को अवगत करा दें तथा इन प्राविधानों का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से उन्हें निर्देशित कर दें।

(हरिश्चन्द्र सिंह)
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशासन)

संख्या : 59–(1) प्र0सू0–01/पा.का.लि/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य महाप्रबन्धक (का0 प्र0–प्रथम)/(का0प्र0–द्वितीय)/महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक (का0 प्र0–तृतीय)/जनसूचना अधिकारी, मुख्यालय उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को पत्र सं0–65–ज0सू0/08 दिनांक 4.1.08 के परिप्रेक्ष्य में मात्र कारपोरेशन, मुख्यालय से संबंधित सूचनायें आवेदकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी/शिविर, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0 के0 भट्ट)
मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम)